कार्यालय, जिला मध्याह्न भोजन योजना, गया

संवेदक चयन से सम्बन्धित विज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2019–21 हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार सरकार

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक–2226/दिनांक 20.11.2017 एवं 1218/दिनांक 10.07.2018 के आलोक में गया जिले के 20 प्रखण्डों यथा वजीरगंज, फतेहपुर, बॉकेबाजार, कोंच, मोहड़ा, मोहनपुर, मानपुर, नगर प्रखण्ड, डोभी, गुरारू, परैया, बोधगया, टनकुप्पा, इमामगंज, आमस, खिजरसराय, अतरी, डुमरिया, बाराचट्टी एवं नीमचक बथानी में मध्याह्न भोजन का खाद्यान्न सम्बन्धित प्रखण्ड गोदाम से उठाव कर विद्यालयों तक वितरण के कार्य हेतु संवेदक चयन के लिए वित्तीय वर्ष 2019–21 हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदा प्राप्ति का स्थान	:–	कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, गया (C/o जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया, शिक्षा भवन, प्रथम तल्ला, निकट आई0एम0ए0 हॉल, उत्तरी विसार तालाब रोड, गया, 823001)
निविदा अवधि	:–	प्रकाशन की तिथि से अगले सात कार्य दिवस तक निबंधित डाक द्वारा पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। इसके बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
निविदा खोलने की तिथि	:–	निविदा जिला पदाधिकारी महोदय, गया के समक्ष खोला जायेगा, जिसकी सूचना जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना, गया से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा की शर्तें निम्नवत् है :–

1. निविदादाता को 15 पंचायत तक के प्रखण्ड हेतु 05 (पाँच) एवं 15 से अधिक पंचायत वाले प्रखण्ड हेतु 08 (आठ) वाणिज्यिक/व्यवसायिक निबंधित वाहनों (ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन) की उपलब्धता का लिखित एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखण्ड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न उठाव/वितरण हेतु उपलब्ध करायेगें। इनमें से दो वाहन स्वंय निविदादाता के नाम से अनिवार्य होगा तथा शेष वाहनों का एकरारनामा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (1000/– रूपये मूल्य के) पर खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु उपलब्ध करायेगें।

2. निविदादाता को निविदा के साथ 50000/– रू0 (पचास हजार रूपये) का अग्रिम सुरक्षित राशि (डी0डी0 के रूप में) बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, गया (Bihar Rajya Madhyahan Bhojan Yojana Samiti, Gaya) के पक्ष में निविदा के साथ जमा करना होगा। निविदादाता के संवेदक के रूप में चयन होने पर सेवा जारी रहने तक सुरक्षित जमा राशि कार्यालय में जमा रहेगा।

3. जिन निविदादाताओं का संवेदक के रूप में चयन नहीं हो पायेगा वैसे निविदादाताओं को एक माह के अन्दर 50000/– (पचास हजार रू0) अग्रिम सुरक्षित जमा राशि चेक/ड्राफ्ट से वापस कर दिया जायेगा।

4. समय पर कार्य करने में असफल होने/किसी भी प्रकार के आरोप प्रमाणित होने अथवा असंतोषजनक कार्य पर संवेदक की अग्रिम सुरक्षित जमा राशि 50000/– (पचास हजार रू0) जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना, गया द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

5. निविदादाताओं को पूलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमात्र पत्र जो तीन माह के अन्दर निर्गत हो समर्पित करना अनिवार्य होगा।

6. संवेदक को चावल ढुलाई हेतु जब भी बुलाया जायेगा, अपेक्षित संख्या में सम्बन्धित माल ढुलाई के वाहन को लेकर एस0एफ0सी0 (राज्य खाद्य निगम) के गोदाम पर आना होगा।

7. ससमय खाद्यान्न ढुलाई नहीं करने या अपेक्षित संख्या में वाहन नहीं लाने या चावल की अनियमितता में विद्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त रहने पर संवेदक का एकरारनामा रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जायेगा।

8. किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी एक ही प्रखण्ड के लिए निविदा स्वीकार्य होगा। एक से अधिक प्रखण्ड के लिए निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा हेतु एक से अधिक प्रखण्ड का Option (विकल्प) देने पर निविदा को नियमानुसार नहीं मानते हुए निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

9. संवेदक चयन होने पर ढुलाई हेतु एकरारनामा वाले वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। ढुलाई कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर मध्याह्न भोजन योजना लिखा हुआ पेंट कराना अनिवार्य होगा। वाहन पर पेंट से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना एवं उक्त प्रखण्ड के प्रखण्ड साधन सेवी का मोबाईल नं0, जिला कार्यालय का दूरभाष संख्या भी लिखा होना अनिवार्य होगा।

10. प्रत्येक निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा कि " मैं कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दूकानदार/सरकारी सेवक/बिहार राज्य

मध्याह्न भोजन योजना का कर्मी नहीं हूँ एवं मेरे निकटतम परिवार में कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दूकानदार/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के कर्मी नहीं है "। उक्त शर्त में किसी भी स्तर से गलत पाये जाने पर निविदा रद्द कर दिया जायेगा।

11. प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा कि "वह कहीं से काली सूची (Black Listed) में नहीं है तथा उसके द्वारा जमा किये गय सभी कागजात की सूचना सही है"। गलत सूचना देने या गलत कागजात जमा करने पर चयनित निविदादाता का चयन रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12. निविदा में संवेदक के रूप में चयनित होने की स्थिति में खाद्यान्न उठाव/वितरण कार्य हेतु निविदा में चयनित सभी वाहनों में जी0पी0एस0 (GPS) प्रणाली अधिस्थापित करना होगा। यदि निदेशालय स्तर से जी0पी0एस0 (GPS) लगाने हेतु Agency का चयन किया जाता है, तो वैसे परिस्थिति में अधिस्थापित जी0पी0एस0 (GPS) को हटाकर चयनित Agency का ही जी0पी0एस0 (GPS) लगाना अनिवार्य होगा।

13. राज्य खाद्य निगम से FAQ (Fair Average Quality) गुणवत्तापूर्ण चावल का ही उठाव करना होगा। जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने हेतु रूट चार्ट तैयार किया जायेगा। रूट चार्ट के अनुसार ही उक्त तिथि को ससमय विद्यालय में संवेदक खाद्यान्न उपलब्ध करायेगें।

14. वाहन एकरारनामा से सम्बन्धित वाहनों के सभी आवश्यक कागजात यथा ऑनरबुक, इन्श्योरेंस, टैक्स टोकन, परमिट, प्रदूषण, फिटनेश एवं अन्य की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा। वाहनों के कागजातों की जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के द्वारा सत्यापन कराया जायेगा कि सभी वाहन व्यवसायिक कार्य में उपयोग के लिए हैं। वाहन से सम्बन्धित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं समझा जायेगा।

15. निविदादाता को आवेदन के साथ अपना हाल का खींचा हुआ 03 (तीन) रंगीन फोटो, ID Proof/आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करना होगा।

16. संवेदक को Weighing मशीन से तौल कर विद्यालयों में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

17. संवेदक द्वारा खाद्यान्न का कालाबाजारी करने/विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। साक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आर्थिक दण्ड लगाते हुए राशि की वसूली किया जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किया जायेगा।

18. चावल का उठाव प्रखण्ड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए प्रखण्ड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक/प्रखण्ड साधन सेवी की होगी। इसमें प्रयुक्त होनेवाले वाहन, ईंधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि की सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जायेगी। SIO के आधार पर प्रखण्ड साधन सेवी तथा संवेदक दोनों अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम क गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्न का उठाव करेंगे। प्रखण्ड साधन सेवी द्वारा प्रत्येक माह की 18वीं तारीख तक संवेदक को विद्यालय में खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित एक वितरण सूची उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर विद्यालयों में संवेदक द्वारा माह की 22 से 30 तारीख तक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

19. चयनित निविदादाता के साथ एकरारनामा एकबार में अधिकतम दो वर्ष तक के लिए किया जायेगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

20. निविदादाता को बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

21. निविदा को किसी भी समय बिना कारण रद्द करने/संशोधित करने का अधिकार केवल जिला पदाधिकारी, गया को होगा।

22. निविदादाता को विहित प्रपत्र यथा संवेदक चयन हेतु आवेदन–सह–स्वघोषणा पत्र के माध्यम से निविदा डालना होगा। निविदा की विस्तृत जानकारी/शर्तो एवं आवेदन पत्र के लिए **www.gaya.bih.nic.in** पर देखा एवं डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

23. लिफाफा के ऊपर आवेदित प्रखण्ड का नाम जिसके लिए निविदा डाला गया है एवं मोबाईल संख्या व ई–मेल आई0डी स्पष्ट रूप से लिखा होना अनिवार्य है।

जि0 कार्य0 प्रबंधक, म0भो0यो0, गया। (सदस्य)	जि0 कार्य0 पदा0, म0भो0यो0, गया। (सचिव)	जि0 शि0 पदा0, (सदस्य) गया।	जि0पदा0 द्वारा मनोनित, (सदस्य) गया।	जिला पदाधिकारी, (अध्यक्ष) गया।

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, ...।
संवेदन चयन हेतु आवेदन–सह–स्वघोषणा प्रत्र।

हाल ही का खीचा हुआ एक रंगीन अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर)

1. आवेदित प्रखंड का नाम :– ....
2. आवेदक का नाम :– ....
3. आवेदक के पिता / पति का नाम :– ....
4. उम्र (जन्म तिथि) :– ....
5. दूरभाष / मोबाईल संख्या :– ....
6. ईमेल पता (अनिवार्य) :– ....
7. स्थायी पता :– ....

   ग्राम– .... पोस्ट– .... थाना –..............................

   प्रखण्ड – .... जिला – .... राज्य– ....

   पिन कोड– ....

8. पत्राचार का पता :–..

   ग्राम– .... पोस्ट– .... थाना –..............................

   प्रखण्ड – .... जिला – .... राज्य– ....

   पिन कोड– ....

9. डिमांड ड्राफ्ट संलग्न (हाँ / नहीं) :– .... ।

डिमांड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम एवं पता	डिमांड ड्राफ्ट संख्या	डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की तिथि	डिमांड ड्राफ्ट की राशि

10. मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न (हाँ / नहीं) :– ....।

चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पता	चरित्र प्रमाण पत्र संख्या	चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	तीन माह के अंदर का है या नहीं

11. पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न (हाँ / नहीं) :– ....।
12. तीन माह के अंदर का दो रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न (हाँ / नहीं) :– ....।
    (एक अनुलग्नक के रूप में एवं एक आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर)

मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्य अनुभव (हाँ / नहीं) :– ....।

पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना मे कार्य किया गया है।	कब से कब तक कार्य किया गया है, तिथि	कार्य संतोषजनक / असंतोषजन	इस हेतु प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पदनाम	संबंधित प्रमाण पत्र
				पृ०सं० ....

13. कुल एकरारनामा वाले वाहनो की संख्या :–

निजी वाहन		अन्य वाहन		कुल वाहन	

क्र० सं०	वाहन मालिक का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन निबंधन संख्या	टैक्सटोकन की अंतिम तिथि	बीमा की अंतिम तिथि	परमिट की अंतिम तिथि	संबंधित वाहन के कागजात / अभिलेख
1.							पृ.सं. .... से .... तक
2.							पृ.सं. .... से .... तक
3.							पृ.सं. .... से .... तक
4.							पृ.सं. .... से .... तक
5.							पृ.सं. .... से .... तक
6.							पृ.सं. .... से .... तक
7.							पृ.सं. .... से .... तक
8.							पृ.सं. .... से .... तक

14. मैं किसी प्रकार का जन प्रतिनिधि नहीं हूँ।

15. मेरे नाम से जनवितरण प्रणाली की दुकान नहीं है।

16. परिवार के किसी सदस्य के नाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान है (हाँ / नही) :– ....।
(यदि हाँ तो, किनके नाम से .... एवं आपसे संबंध ....)

17. किसी भी प्रकार का आपराधिक / न्यायिक मामला है (हाँ / नही) :– ....।

18. चयनोपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, ... के साथ सभी अनुमान्य शर्तों के अनुरूप एकरारनामा करूँगा (हाँ / नहीं) :– ....।

19. अनुलग्नक (कुल पृष्ठों की संख्या) :–
(क) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठो की संख्या (उपर से नीचे तक) :– ....।
(ख) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठो की संख्या (नीचे से उपर तक) :– ....।

"मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी कागजात एवं अभिलेख मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। यदि अंकित सूचनाएँ गलत एवं संलग्न कागजात / अभिलेख गलत पाई जाती है तो विभाग मेरा चयन रदद् करते हुए मुझ पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा"।

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

आवेदक का नाम / हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता